आपराधिक समीक्षा

माननीय म्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया और भोपिंदर सिंह ढिल्लों के समक्ष

रछपाल,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य - प्रतिवादी

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 1047, 1968

6 अगस्त 1971.

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का एक्स)-धारा 3 और 7-पंजाब मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश (1966) धारा 2(डी) और 3-तैयारी अपराध करने के प्रयास के तहत किसी अन्य राज्य से एक मील दूर किसी स्थान पर मोटे अनाज से भरी बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की कथित आशंका के निर्धारण के लिए परीक्षण, जिसका निर्यात उस राज्य के लिए निषिद्ध है-ऐसा व्यक्ति-चाहे अवैध निर्यात का अपराध करने के प्रयास का दोषी।

माना जाता है कि तैयारी के कृत्यों को अपराध करने के प्रयासों से विभाजित करने वाली रेखा हमेशा पतली होती है। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या किसी व्यक्ति के कार्य एक प्रयास या तैयारी हैं, क्या पहले से किए गए प्रत्यक्ष कार्य ऐसे हैं कि यदि अपराधी अपना मन बदल लेता है और अपनी प्रगति में आगे नहीं बढ़ता है, तो पहले से किए गए कार्य पूरी तरह से हानिरहित होंगे। जहां किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य की सीमा से एक मील दूर एक स्थान पर बैलगाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, जिसमें भारी मात्रा में मोटा अनाज होता है, जिसका निर्यात पंजाब मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश के तहत अपेक्षित परमिट के बिना उस राज्य में प्रतिबंधित है। , 1966, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत प्रख्यापित, ऐसे व्यक्ति के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने उस राज्य में प्रतिबंधित अनाज के निर्यात का प्रयास किया है। यह बहुत संभव है कि उसे चेतावनी दी गई हो कि उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है प्रतिबंधित वस्तु ले जाने के लिए और उसने अपनी गिरफ्तारी के स्थान और राज्य की सीमा के बीच किसी भी स्थान पर अपना मन बदल लिया हो। हो सकता है कि वह अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ा हो और इसलिए उसका कृत्य केवल तैयारी के बराबर है न कि आदेश की धारा 3 के तहत अवैध निर्यात का अपराध करने का प्रयास।

(पैरा 9).

संपादक का नोट ए. 1. आर. 1950 उड़ीसा 114, ए. आई. आर. 1951 उड़ीसा 284 और ए.आई.आर. 1952 उड़ीसा 164 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ए.आई.आर. को अब अच्छा कानून नहीं माना गया। 1970 एस.सी. 713.

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 17 मार्च, 1971 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। मामले का निर्णय अंततः 6 अगस्त, 1971 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों की खंडपीठ द्वारा किया गया। श्री बी.एस. यादव, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक के दिनांक 27 जून, 1968 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत याचिका, जिसमें श्री डी.आर. गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रोहतक के दिनांक 15 सितंबर, 1967 के आदेश की पुष्टि की गई है। याचिकाकर्ता को दोषी ठहराना।

याचिकाकर्ता की ओर से यू. डी. गौर, वकील।

ए.एस.नेहरा, महाधिवक्ता, हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।

संधावालिया, जे.-

(1) इस आपराधिक पुनरीक्षण में उठने वाले कानून का दिलचस्प प्रश्न अच्छे और सूक्ष्म अंतर पर प्रकाश डालता है जो केवल तैयारी को अपराध करने के प्रयास से विभाजित करता है। मामला हमारे सामने एक संदर्भ पर है और यह मुद्दा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रख्यापित पंजाब मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1966 के उल्लंघन में प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात के विशेष संदर्भ में उठता है। , 1955.

(2) कानून बिंदु के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं। एक पुलिस पिकेट ने याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य के गांव बलौर से दिल्ली राज्य में स्थित गांव झारोदा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर अपनी बैलगाड़ी चलाते हुए पाया था। यह अभियोजन पक्ष का ही मामला है, जैसा कि फूल सिंह (पी.डब्ल्यू. 2) के साक्ष्य में सामने आया है कि जब याचिकाकर्ता को पकड़ा गया था तब दिल्ली राज्य की सीमा घटनास्थल से लगभग एक मील की दूरी पर थी। याचिकाकर्ता द्वारा चलाई गई गाड़ी में 540 किलोग्राम बाजरा था और उसके पास हरियाणा राज्य से दिल्ली राज्य में इसे निर्यात करने का कोई परमिट नहीं था। उन्हें पंजाब मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1966 के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके तहत राज्य के बाहर किसी स्थान पर बाजरा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उसके बाद के मुकदमे में याचिकाकर्ता को आवश्यक धारा 7 के तहत दोषी ठहराया गया था। वस्तु अधिनियम, 1955 और उसके तहत सजा सुनाई गई। एक अपील पर इस दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई थी। उपरोक्त दोषसिद्धि के विरुद्ध निर्देशित वर्तमान पुनरीक्षण अकेले बैठे मेरे सामने आया। चूंकि उठाए गए मुद्दों में कुछ कठिनाई थी और वे काफी महत्वपूर्ण थे, इसलिए मेरे द्वारा इस मामले को एक प्रभाग द्वारा निर्णय के लिए भेजा गया था बेंच।

(3) हमारे सामने अभियोजन मामले की खूबियों और विवरणों को लेकर कोई हलचल या हमला नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री यू.डी. गौर ने याचिका के समर्थन में मुख्य रूप से इस बिंदु पर तर्क दिया है कि स्थापित तथ्यों के आधार पर उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और अधिकतम रूप से उनका कार्य केवल तैयारी के बराबर है जो कि नहीं किया गया है। उस क़ानून के तहत दंडनीय है जिसके उल्लंघन

का उस पर आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि अभियोजन पक्ष का अपना मामला यह है कि याचिकाकर्ता को दिल्ली की सीमा से एक मील की दूरी पर धीमी गति से चलती बैलगाड़ी पर पकड़ा गया था और हो सकता है कि उसे चेतावनी दी गई हो और उसने अपना मन बदल लिया हो। सीमा पार करने से पहले किसी भी क्षण। यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि तथ्य सिद्ध होते हैं यह कथित अपराध करने का प्रयास नहीं है।

4) तैयारी के कार्यों को अपराध करने के प्रयास से विभाजित करने वाली रेखा हमेशा पतली होती है। इसने न्यायिक राय के टकराव को जन्म दिया है। डॉ. ग्लेनविले एल. विलियम्स ने आपराधिक कानून पर अपने प्रसिद्ध कार्य में इसे निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में बताया है: -

"कोई विस्तृत परीक्षण नहीं कहा जा सकता है: एकमात्र सामान्य नियम यह है कि अपराध के लिए केवल 'तैयारी' पर्याप्त नहीं है - लेकिन यह केवल नकारात्मक रूप में निकटता नियम है। इसी प्रकार 'दूरस्थता' के संदर्भ में भी एक नियम बताया गया है।"

किसी अपराध के घटित होने की ओर ले जाने वाले कृत्यों को अपराध करने का प्रयास नहीं माना जाता है, बल्कि उससे तुरंत जुड़े कृत्य माने जाते हैं।'

इस तरह के अस्पष्ट सूत्रीकरण व्यक्ति को आगे की प्रबुद्धता की आशा में विशिष्ट निर्णयों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ भ्रम में पाया जाएगा।" अधिकारी

(5) प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, सबसे पहले पंजाब मोटे अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है, जिसके उल्लंघन के कारण मुकदमा चलाया गया है- "धारा 2. परिभाषाएँ। इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(ए)

(बी)

(सी)

(डी) 'निर्यात' का अर्थ है पंजाब राज्य के भीतर किसी भी स्थान से पंजाब राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर ले जाना या परिवहन करना, या किसी भी माध्यम से ले जाना या ले जाना;

(डी)

(एफ)

धारा 3. मोटे अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध. कोई भी व्यक्ति सरकार या निदेशक या सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के तहत और उसके अनुसार ही मोटे अनाज का निर्यात या निर्यात

करने का प्रयास या प्रोत्साहन नहीं करेगा; बशर्ते कि इसमें शामिल कोई भी बात मोटे अनाज के निर्यात पर लागू नहीं होगी

(i) किसी प्रामाणिक यात्री द्वारा अपने सामान के हिस्से के रूप में प्रत्येक प्रकार के मोटे अनाज का वजन एक किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए; या

(ii) सरकारी खाते पर; या

(iii) सैन्य क्रेडिट नोट्स के तहत और उसके अनुसार रक्षा सेवाओं के लिए।"

(6) वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-राज्य की ओर से तर्क (अर्थात् याचिकाकर्ता का कार्य स्पष्ट रूप से एक प्रयास के समान है) या तो सिद्धांत पर अविश्वसनीय है या प्राधिकार द्वारा समर्थित नहीं है। वास्तव में, उड़ीसा उच्च न्यायालय के प्राधिकारियों की एक श्रृंखला है जो राज्य की ओर से व्यक्त किए गए दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करती है। उक्त उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ में मुख्य न्यायाधीश रे, जगन्नाधदास और नरसिम्हम जे.जे. शामिल थे। राज्य बनाम हरिचरण रक्षित में, (ए.आई.आर. 1950 उड़ीसा 114.) एक आरोपी व्यक्ति के मामले पर विचार करना था जो पुरी से हावड़ा तक एक थ्रू ट्रेन में यात्रा कर रहा था और अपने साथ लगभग 14 पाउंड वजन का नया कपड़ा ले जा रहा था, जिसका निर्यात भीतर से किया गया था। राज्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नरसिम्हम जे. जिन्होंने मुख्य निर्णय लिखा था और मुख्य न्यायाधीश रे ने माना कि अभियुक्त का कृत्य स्पष्ट रूप से गलत था। वारदात को अंजाम देने की कोशिश में, भले ही उसका पता सीमा से काफी दूरी पर लगा हो। इसे इस प्रकार देखा गया:- "यहां पुरी से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के एक डिब्बे में प्रतिबंधित कपड़े को हावड़ा ले जाने के इरादे से रखने से प्रयास पूरा हो जाता है, क्योंकि वह कृत्य अनिवार्य रूप से अपराध का कारण बनेगा। पता लगने के डर से या अन्य कारणों से, अपराध को पूरा करने में निराशा के लिए अपराधी यात्रा के बाद के चरणों में क्या कर सकता है, यह काफी महत्वहीन है।"

दास, जे. भी दो अन्य विद्वान न्यायाधीशों से सहमत थे बेंच, लेकिन थोड़ा अलग तर्क के लिए नोटिस लिया कि चोर। सज़ा भारत की रक्षा फ़्यूल्स की धारा 121 के तहत थी,

(7) द किंग बनाम टस्टिपाडा में मुख्य न्यायाधीश रे और नरसिम्हम, जे से युक्त उड़ीसा उच्च न्यायालय के डिवीजन ईंच द्वारा और भी अधिक स्पष्ट और स्पष्ट राय दी गई है। मंडल एवं अन्य, (ए.आई.आर. 1951 उड़ीसा 284.) आगामी निर्णय में। उस मामले में अभियोजन का मामला यह था कि उड़ीसा पशुधन (नियंत्रण और संचलन और लेनदेन) आदेश, 1947 का उल्लंघन करते हुए 21 मवेशियों को उड़ीसा प्रांत से बाहर ले जाया जा रहा था। इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया था: - "आंदोलन और परिवहन कानून के विपरीत होने के कारण अपराध मवेशियों की खरीद के तुरंत बाद शुरू होना चाहिए क्योंकि वे उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। आंदोलन या परिवहन का कार्य दो टर्मिनी के बीच पूरा किया जाना है, एक टर्मिनस यथास्थिति है और दूसरा टर्मिनस एड क्वेम है। पहले से दूसरे की ओर कोई भी मामूली हलचल, खंड की शरारत के साथ-साथ परिवहन की आवाजाही के

समान है। इसलिए, परीक्षण यह है कि क्या पहले से किया गया प्रत्यक्ष कार्य ऐसा है कि यदि अपराधी अपना मन बदल लेता है और अपनी प्रगति में आगे नहीं बढ़ता है, तो पहले से किया गया कार्य पूरी तरह से हानिरहित होगा। लेकिन जहां किया गया कार्य ऐसा है, जिसे यदि किसी बाहरी कारण से रोका नहीं गया है, तो यह अपराध करने के लिए उचित होगा, यह अपराध करने का प्रयास होगा। वर्तमान मामले में, खंड (ए.आई.आर. 1952 उड़ीसा 164.) बिना परमिट के स्थानांतरित करने या परिवहन करने के प्रयास को उतना ही अपराध बनाता है जितना कि प्रांत के अंदर से बाहर किसी स्थान पर आंदोलन या परिवहन के पूर्ण कार्य। जैसा कि मैंने कहा है कि एक टर्मिनस से दूसरे की ओर कम से कम आवाजाही एक प्रयास मानी जाएगी और अधिनियम की धारा 10 के तहत दंडनीय होगी। विवाद विफल होना चाहिए।" इससे पहले डिवीजन बेंच ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि प्रयास का अपराध तभी पूरा होगा जब सीमा तक पहुंच जाएगा या उसे पार कर जाएगा- "प्रस्तुतीकरण यह है कि अपराध केवल तभी किया जाता है जब प्रांतीय सीमाएं पार की जाती हैं, उससे पहले नहीं, इस विवाद को स्वीकार करना कानून का आभासी समर्थन होगा।" वैकुंठम जगनधाम बनाम उड़ीसा राज्य में, (3) तथ्य यह थे कि मोटर लॉरी को मद्रास की सीमा की ओर बढ़ते समय पाया गया था, लेकिन अभी वह वहां से 28 मील दूर थी और उक्त लॉरी से चावल की बोरियां जब्त कर ली गईं। मालिक और ड्राइवर पर उड़ीसा खाद्य अनाज नियंत्रण आदेश, 1947 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, और दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए यह माना गया कि यह कृत्य एक प्रयास के समान था। नरसिम्हम, जे. ने इस प्रकार कहा:- "मात्र संभावना यह है कि लॉरी के उड़ीसा की सीमा पार करने से पहले याचिकाकर्ता ने अपना मन बदल लिया होगा और चावल को उड़ीसा में कहीं फेंक दिया होगा, क्या मैं यह इंगित करने के लिए पर्याप्त नहीं समझूंगा कि जिस अधिनियम की शिकायत की गई थी वह अभी भी तैयारी के चरण में था और तैयार नहीं हुआ था। कोशिश करना।"

(8) मध्य प्रदेश राज्य बनाम राम चरण किशन मामले में एक डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा किया गया है, (ए.एल.आर. 1969 म.प्र. 96,) जिसमें यह भी माना गया था कि प्रयास का अपराध राज्यों की सीमा के बावजूद पूरा हो गया था। म.प्र. का और ऊपर। अभी तक पार नहीं किया गया था

(9) यद्यपि उत्तर-राज्य की ओर से प्रचारित उपरोक्त दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, अब हम इसे ऊपर उद्धृत उड़ीसा निर्णयों के तर्क की शुद्धता या अन्यथा की विस्तार से जांच करने के लिए व्यर्थ अभ्यास मानते हैं। हमारे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि मामला अब मल्कियत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य में हालिया बाध्यकारी मिसाल द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में कवर किया गया है। (ए.एल.आर. 1970 एस.सी. 713

). यह सच है कि उपरोक्त अधिकारियों ने विपरीत दृष्टिकोण के समर्थन में अपने आधिपत्य के समक्ष उल्लेख नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो नियम प्रतिपादित किया है, वह पर्याप्त स्पष्टता के साथ निर्धारित किया गया है और वर्तमान मामले को पूरी तरह से कवर करता है। मलकीयत सिंह के मामले (5) (सुप्रा) में, अपराधी ट्रक मलेरकोटला से दिल्ली के लिए बुक की गई धान की बोरियों की एक खेप ले जा रहा था और उसी आशय के आवश्यक कागजात ले जा रहा था। ले जाए गए दस्तावेज़ और प्रतिबंधित सामग्री के परिवहन का इरादा राज्य से बाहर गंभीर विवाद में नहीं दिखाई दिया। ट्रक, मलेरकोटला से दिल्ली की ओर 150 मील से अधिक की दूरी तय

कर चुका था, जब तक कि उसे दिल्ली-पंजाब सीमा से 18 मील की दूरी पर समालखा बैरियर पर रोक नहीं लिया गया। निचली अदालतों द्वारा दर्ज की गई और बरकरार रखी गई अपीलकर्ताओं की सजा को उलटते हुए, उनके लॉर्ड जहाजों ने यह विचार किया कि अधिनियम केवल अपीलकर्ताओं की ओर से तैयारी थी और यह एक प्रयास के बराबर नहीं था। नियम निम्नलिखित शर्तों में तैयार किया गया था: - "यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अपीलकर्ताओं का कार्य एक प्रयास या तैयारी है, परीक्षण यह है कि क्या पहले से किए गए प्रत्यक्ष कार्य ऐसे हैं कि यदि अपराधी अपना मन बदल लेता है और अपनी प्रगति में आगे नहीं बढ़ता है तो पहले से किए गए कार्य पूरी तरह से हानिरहित होंगे। वर्तमान मामले में यह बहुत संभव है कि अपीलकर्ताओं को चेतावनी दी गई होगी कि उनके पास धान ले जाने का कोई लाइसेंस नहीं है और उन्होंने समालखा बैरियर और दिल्ली-पंजाब सीमा के बीच किसी भी स्थान पर अपना मन बदल लिया होगा और अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़े होंगे।

(10) ऊपर कही गई स्पष्ट व्याख्या के मद्देनजर, हम इस विचार पर झुके हैं कि ऊपर उल्लिखित पहले के उड़ीसा राज्य अब अच्छे कानून नहीं हैं। वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला मल्कियत सिंह के मामले (5) के अनुपात में ही आता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कच्चे रास्ते पर चलने वाली धीमी गति से चलने वाली बैलगाड़ी को जीटी पर ट्रक की तुलना में अधिक नहीं तो उतना ही समय लगेगा। उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के मामले में सड़क को समालखा बैरियर से सीमा तक 18 मील की दूरी तय करनी होगी। परिणामस्वरूप वर्तमान याचिका सफल होनी चाहिए और उसे अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है और जुर्माना, यदि भुगतान किया गया है, तो वापस कर दिया जाएगा। अनाज और गाड़ी-बैल जब्त करने का आदेश भी रद्द किया जाता है.

ढिल्लों, जे.-मैं सहमत हूं।

*****

<u>अस्वीकरण</u>: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा